

90 3 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) बोर्ड के संबंध में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसीसी) ने सीपीएसबी बोर्ड के संबंध में गैर-आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव में विचार करते समय निम्नवत देखा:-

- (i) सीपीएसई कोर्ट की समान पृष्ठभूमियों वाले दो व्यक्तियों की मौजूदगी, फालतू होने के कारण, प्रयोजक प्राधिकारी की ओर से और साथ ही चयन/जांच प्रक्रिया की खराब संवीक्षा को दर्शाता है।
 - (ii) सीपीएसई बोर्ड के संबंध में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के सभी भावी प्रस्तावों के साथ, बोर्ड के मौजूदा गैर-आधिकारिक निदेशकों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि/ब्यौरा होना चाहिए।
2. एसीसी के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन और भविष्य के मार्गदर्शन के लिए उल्लेख किया जा सकता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 9(32)/2004—जीएम, दिनांक, 28 दिसम्बर, 2006)
